5

Electronic Waste (Management and Disposal) Bill, 2021

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में मानदंड निर्धारित करके और उत्पादकों, पुन:चक्रणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित करके कबाड़ बन चुके टेलीविज़न, निजी कंप्यूटर, फ़्लॉपियों, ऑडियो-वीडियो सीडी, बैटरियों, सेल फोन, रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों, टेलीफोन्स, कपड़े धोने की मशीनों, इलेक्ट्रिक स्विचों आदि जैसे त्यक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के द्वारा उत्सर्जित हो रहे लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन और निपटान तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में मानदंड निर्धारित करके और उत्पादकों, पुनःचक्रणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित करके कबाड़ बन चुके टेलीविज़न, निजी कंप्यूटर, फ़्लॉपियों, ऑडियो-वीडियो सीडी, बैटरियों, सेल फोन, रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों, टेलीफोन्स, कपड़े धोने की मशीनों, इलेक्ट्रिक स्विचों आदि जैसे त्यक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के द्वारा उत्सर्जित हो रहे लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन और निपटान तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जुगल किशोर शर्मा: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 50 ? श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

14.03 hrs